प्रेषक.

ममता श्रीबास्तव, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषय, विका केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रांति विहार, नहींक्रती।

शिक्षा (7) अनुपाग

लखनकः दिनाकः ०५ जून, २००८

विषयः - सिटी इण्टरनेशनल स्कूल इन्तरानगर,लावनक का साठबाठाव्यक्ति नर्निरला स संबद्धाः हेत् जनायोता प्रमाण पत्र विया जाना ।

मानदय,

उपर्यंक्त विषय की ओर जापका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे वरू कहने का निदेश हुआ है कि उसत संबंधित विद्यालय को सींग्जीशिएस0ई0 नई दिल्ली से संगद्धता हेतु अनापति। प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नोलीखत प्रांतवंथों के अधीन आपति नहीं है:

(3) विद्यालय की एलाइत सोसायटी का समय-समय पर नवानीकरण कराया जायेगा।

(2) विकालय की प्रवेध सामीत में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /जनजाति के मैथावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उठप्र0नाध्यमिक शिक्षा परिपद वेसिक शिक्षा परिपद द्वारा संचासित निद्यालंगों में निमिन्न क्यालों के लिए निर्धारित शूक्क से अधिक शूक्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य संस्कार स किसी अनुपान की मीम नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय मध्यांमक शिक्षा पारका स मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संस्कृतता संदुल बांड च्याफ संकर्ण्यून एज्यूकशन नहींकल्ली रकीसल कार हि डिण्डियन स्कल संयोक्किट इक्जामनजान नहींकल्ली स प्राप्त होता है, तो उस परीका परिचयों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उठपठ मध्यांमक शिक्षा परिचय कारा प्रकल मान्यता तथा राज्य संरकार से प्राप्त अनुपान स्थल, समान्य हो गामेगे।

(5) संख्या के शैकिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का रामकीय तडायता प्राप्त विश्वण राख्याओं के कर्मचारियों की अनुक्त्य वेतनमानों तथा प्रत्य वत्तों से कम वेतनमान

तथा अन्य भल नहीं विये वायेंगे ।

(6) कर्मकारियों की सेवा धर्में बनाया जायेगा क्षीर उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय ज्ञासकीय स्थाप साध्यांमक विद्यालयों के कर्मवारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ ज्ञालव्य कराये वायेगें।

MAC



BARINCIPAL
PRINCIPAL
CITYUTERNATIONAL SCHOOL
MANAS CITY, INDIRA NAGAR, LUCKNOW

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेग सस्था उनका पालन करेगी ।
- (S) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) ज्यत शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्धन नहीं किया जावेगा ।
- 2- प्रतिबंध यह भी होना कि विकालय भूमि का लीज होड़ की 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर लीज होड़ की अवधि एन. बढ़ा की जायेगी।
- 3- उन्तर प्रतिनंदी का पालन करना संस्था में निए अनिवार्न होना और यात किसी सनन यह पामा जाता है कि संस्था सारा उन्त प्रतिनंदी का पालन नहीं किया जा रहा है अथना पालन करने में किसी प्रकार की धुक या शिविलता वर्सी णाती है तो राज्य सरकार कारा प्रवत्त अनार्याल प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भववीय, (ममला श्रीवास्तव) उप सचिव।

## प्रिनंद्या एवं विनांक तदिव

प्रतिलिपि निम्निलिसित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रीपेत :-

- 1- शिक्षा निवेशम्(मार्), उत्तर प्रवेश,लखनऊ।
- 2- पण्डलीय संयुक्त शिला निवेशक, लाखनक।
- 3- जिला विद्यालय निरोक्तक, लखनका
- 4- निरंक्षक,आंख भारतीय विद्यालय ३०५०,त्यावनक ।
- प्रविधक, शिरी इंग्टरनेशनस रेकूल इन्टिरलगर,लखनाज।
  - 6- गाडं नुका ।

साला स

क्रूर। (ममता श्रीबास्तव) उप सुन्धिव।

-



PRINCIPAL PRINCIPAL CITY INTERNATIONAL SCHOOL